रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अप्रैल 5, 1973/चैत्र 15, 1895
No. 133] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 5, 1973/CHAITRA 15, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April 1973

S. O. 201(E).—In exercise of powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby extends upto 30th April, 1973, the period within which the Commission of Inquiry appointed by the Government of India in the Ministry of Home Affairs by notification No. S.O. 563(E) published at pages 1553 & 1554 of Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India Extraordinary, dated the 24th August, 1972, shall make its report to the Central Government.

[No. 31/6/72-Poll. I]

T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1973

का० आ० 201 (अ).—जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, 24 अगस्त, 1972 के भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) के पृष्ठ 1553 और 1554 पर प्रकाशित अधिसूचना सं० मा० आ० 563(ई) द्वारा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय में नियुक्त जांच आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को देने की अवधि एतद् द्वारा 30 अप्रैल, 1973 तक बढ़ाती है।

[सं० 31/6/72—पोल—1]

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, संयुक्त सचिव।